न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 38/2020

मक्खनलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी नवल कुशालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली ब उनवान मुकदमा सरकार बनाम मक्खनलाल मु.नं. 113/2020 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट आदेश 09/7/2020 बाबत ख.नं. 157/4.71 किसम बंजड वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

निर्णय दिनांक 23.9.2021

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली द्वारा ब उनवान प्रकरण संख्या 113/2020 बाबत ख.नं. 157/4.71 हैक्टर किस्म बंजड मेंसे 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट का पक्का निर्माण अवैध अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 09/7/2020 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम नवल कुशालपुरा के ख.नं. 157/4.71 है0 किस्म बंज डमें से 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिकमण सिद्व होने पर अपीलान्ट/गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को धवस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान का पचास गुना 15/– रूपये अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाने के आदेश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 09/7/2020 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।
2. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि हल्का पटवारी नारहेडा ने तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक रिपार्ट इस आशय की पेश की गयी कि सम्वत् 2077 में ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली के ख.नं 157/4.71 किस्म बंजड मेंसे 0.01 हैक्टर भूमि पर मक्खनलाल पुत्र मांगीलाल जाति चनार निवासी नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली ने पक्क चबुतरा का निर्माण कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है। उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की तलबी करायी गयी। बाद तामील होने पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ

तथा जवाब पेश किया। अपीलान्ट को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति मानते हुये इन्दिरा आवास के तहत् आवासीय मकान हेतु ख.नं. 135/467 रकबा 1.56 गै0मु0 आबादी में पट्टा जारी किया गया था । गैर सायल का मकान उक्त ख.नं. में ही बना है जो पट्टाशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि है, जिसमें निर्माण वैध है। अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया तथा ना ही उसने मौके पर नापतोल की है ना ही सीमाज्ञान, पत्थरगढी की है मात्र कयास के आधार पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर राजनैतिक रंजिस की वजह से गलत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलान्ट को ख.नं. 135/467/1.56 गै.मु. आबादी में इन्दिरा आवास के तहत् मकान बनाने हेतु भूमि आवंटित की गयी थी। आवंटन करायी गयी भूमि पर ही अपीलान्ट काबिज होकर मकान निर्माण किया हुआ है, जो पूर्व से ही है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्व झूठी शिकायत कर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करायी गयी है जो न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से अधिनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा पारित आदेश 09/7/2020 अपास्त किया जावें।

3. बहस पैरोकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अवगत कराया कि पटवारी हल्का सम्वत् 2077 में ग्राम नवलकुशालपुरा के आराजी ख.नं. 157 रकबा 4.71 है0 किस्म बंजड में से 0.01 है0 भूमि पर अवैध रूप से पक्का चबुतरा बनाया जाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल के विरूद्व एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना पैनल्टी आरोपित की जाकर दिनांक 09/7/2020 को उक्त निर्णय पारित किया है, जो न्याय संगत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को [illegible] फरमायी जावें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 113/2020 ब उनवान सरकार बनाम मक्खनलाल आराजी ख.नं. 157/4.71 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली में से 0.01 हैक्टर पर नाजायज रूप से अतिक्रमण मानते हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त कर भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिनांक 09/7/2020 को पारित किया जाना पाया गया । वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत बहस में अभिकथन कर जाहिर किया है कि पटवारी हल्का बिना मौके पर गये, बिना जांच किये, ना ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये बिना झूठी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जो कयास के आधार पर पेश की गयी है। उक्त प्रस्तुत पटवार हल्का से गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09/7/2020 को अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है,

जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा अपना जवाब पेश किया है, जिसका नजरअन्दाज कर उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि आ.ख.नं. 135/467/1.56 गै0मु0 आबादी में इन्दिरा आवास के तहत् मकान बनाने हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुयी थी। आवंटन करायी गयी भूमि पर ही अपीलान्ट काबिज होकर मकान निर्माण किया है जो पूर्व से ही बने हुये हैं । अतिक्रमण बाबत अपीलान्ट के विरूद्व झूठी रिपोर्ट पटवारी हल्का से करायी गयी है, जबकि अन्य व्यक्तियों द्वारा ख.नं. 157 किस्म बजंड में नाजायज रूप से भूमि का अतिकमण कर सरकारी भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में मिला लिया है। उक्त ख.नं. 157 रकबा 0.01 है0 में अपीलान्ट/गैर सायल का कोई कब्जा एवं अतिकमण नहीं है। यदि उक्त ख.नं. 157 में गैर सायल/अपीलान्ट का पक्का चबूतरा अवैध निर्माण पाया जाता है तो उन्हें हटाने को तैयार है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 09/7/2020 खारिज फरमाया जावें।

चूँकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आ.ख.नं. 157/4.71 है0 किस्म बंजड में से 0.01 है0 वाके ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली पर अपीलान्ट/गैर सायल मक्खनलाल पुत्र मांगीलाल निवासी नवलकुशालपुरा द्वारा नाजायज रूप से पक्का चबुतरा निर्माण करने पर अतिकमण घोषित करते हुये दिनांक 09/7/2020 को निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के तहत् ख.नं. 135/467 रकबा 1.56 गै0मु0 आबादी में पट्टा जारी किया गया था। अपीलान्ट का मकान उक्त ख.नं. में ही है, जो पट्टाशुदा भूमि है जिसमें किया गया निर्माण वैध है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं किया है। यदि नाप–जोख में अपीलान्ट का विवादित ख.नं. में अतिकमण पाया जायेगा तो स्वयं हटाने को तैयार है। अपीलान्ट की अपील इस शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है कि उक्त आराजी ख.नं. में यदि अतिकमण कर रखा है तो उसे अतिकमण से मुक्त करें। अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिकमण को हटाने के लिए सहमत हुआ है। इसलिए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाना न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/7/2020 ब उनवान सरकार बनाम मक्खनलाल मु.नं. 113/2020 बाबत ख.नं. 157/4.71 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली में पारित आदेश में पैनल्टी राशि यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5. निर्णय आज दिनांक 23.9.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)